ESTER
INDUSTRIES LTD.
CIN : L24111UR1985PLC015063

DNV-GL ISO 9001

Date: 22nd August, 2019

BSE Limited Department of Corporate services Phirojee Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400023	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051
Scrip Code: 500136	**Symbol: ESTER**

Dear Sir

Subject : Submission of copy of Advertisement for AGM and E-voting

Pursuant to Regulation 30 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copy of the Advertisement for Annual General Meeting (AGM) and E-Voting published in Hindi newspaper (Najariya Khabar, Dehradun Edition dated 22nd August, 2019) as well as in English newspaper (The Financial Express, All Editions dated 22nd August, 2019).

Please acknowledge the receipt of the same.

Thanking You

Yours Faithfully
For **Ester Industries Limited**

ESTER INDUSTRIES LTD. Block-A Plot No-11 Infocity-1, Sector-33 & 34 Gurgaon 122001 Haryana

Diwaker Dinesh
Head-Legal & Company Secretary

Encls: As above

Block-A, Plot No. 11, Infocity-I, Sector-34, Gurgaon - 122001 Haryana, India
Phone : +91-124-2656100, 4572100 Fax : +91-124-4572199, 2656199 E-Mail : info@ester.in Website : www.esterindustries.com

Regd. Office & Works : Sohan Nagar, P. O. Charubeta, Khatima - 262308 Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand
Phone : EPABX No. (05943) 250153-57 Fax No.: (05943) 250158

Mumbai - 400057 **Tel No:** (022) 26113883, 26262100;
Email id: corporate@remsons.com, **Website:** www.remsons.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 47th Annual General Meeting ('AGM') of Remsons Industries Limited will be held on Saturday, 14th day of September, 2019 at 11.00 a.m. at Juhu Vile Parle Gymkhana Club, Jasmine Hall, Plot No. U-13, N. S. Road No. 13, Opp. Juhu Bus Depot, JVPD Scheme, Juhu, Mumbai - 400 049, to transact the business as set out in the Notice of 47th AGM dated 26th July, 2019. The Company has completed the dispatch of its Annual Report for the year ended 31st March, 2019 including the said Notice to all the Members at their registered address through courier and e-mailed at their registered e-mail ids on Tuesday, 20th August, 2019.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 7th September, 2019 to Saturday, 14th September, 2019 (both days inclusive) for the 47th AGM of the Company and to determine the names of the shareholders who will be entitled to receive final dividend, if approved at the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to the Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date i.e. September 7, 2019 to cast their votes on all the resolutions set forth in the Notice convening 47th AGM through electronic voting system. The Company has engaged services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for providing e-voting facility.

All the members are informed that:

a) The business as set out in the Notice of the 47th AGM of the Company may be transacted by electronic voting means.
b) The Cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by postal/ballot papers at 47th AGM is **Saturday, 7th September, 2019.**
c) Remote e-voting is optional. The remote e-voting shall remain open from **Wednesday, 11th September, 2019** at 9.00 A.M.(IST) upto **Friday, 13th September, 2019 at 5.00 P.M.** (IST). The e-voting module shall be disabled by CDSL after **5.00 p.m. on Friday, 13th September, 2019.** Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. **Saturday, 7th September, 2019,** may obtain the login ID and password by sending a request at **helpdesk.evoting@cdslindia.com**. The voting rights of members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. **Saturday, 7th September, 2019.**
d) The facility of voting through postal/ballot polling papers shall be made available at the venue of 47th AGM. Members can opt for only one mode of voting i.e. either through polling/ballot paper or remote e-voting. In case members cast their votes through both the modes, voting done by remote e-voting shall be considered and votes cast through polling/ballot papers at the 47thAGM shall be treated as invalid. Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM; and a person whose name is recorded in the Register of Members and list of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Saturday, 7th September, 2019 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot / polling papers;
e) The Notice of AGM is available on website of CDSL viz. **www.evotingindia.com** and of the Company viz. www.remsons.com.
f) Members who do not receive the Annual Report may apply to the Company and obtain a duplicate thereof.
g) For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section **"E-VOTING"** in Notice of 47th AGM. In case of any queries or grievances regarding e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual available at **www.evotingindia.com** under 'HELP' section or write an e-mail to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services(India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400013, at contact number- 18002005533, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary of the Company at the email ID **cs@remsons.com** or at the Registered Office Address as mentioned above.

Members holding shares in physical mode are requested to inform about change of address/email ids/ dividend mandate/ NECS request, if any, to the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. M/s. Sharex Dynamic (India) Pvt. Ltd., at C-101, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikroli (West), Mumbai - 400 083. Members holding shares in Demat mode should inform their Depository Participants (DP) about such changes.

For Remsons Industries Limited
Sd/-
Rohit Darji
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: 21st August, 2019

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Venkatesh Logistics Private Limited on 19.08.2019

The creditors of Venkatesh Logistics Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 02.09.2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 21.08.2019
Place: Kolkata

Sd/-
Vinod Kumar Kothari

ESTER
INDUSTRIES LTD.

CIN: L24111UR1985PLC015063
Registered Office: Sohan Nagar, P. O. Charubeta, Khatima- 262308, Distt Udham Singh Nagar, Uttarakhand, **Phone:** (05943) 250153-57 Fax : (05943) 250158
Corporate Office: Plot No. 11, Block-A, Infocity-I, Sector-34, Gurgaon-122001, Haryana.
Phone : (0124) 4572100, **Fax:** (0124) 4572199
Website: www.esterindustries.com, **Email:** investor@ester.in

NOTICE OF THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING, EVOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the **33rd Annual General Meeting (AGM)** of Ester Industries Limited will be held at **10.30 AM** on **Monday, 16th September, 2019** at the Registered office of the Company at Sohan Nagar, P. O. Charubeta, Khatima-262308, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand to transact such business as set out in the Notice of AGM ("Notice"). Notice along with Annual Report for financial year 2018-19 have been sent through electronic mode to all the members whose email ids are registered with company/Depository Participants and physical copies of Notice of AGM along with the Annual Report have been sent to all other members at their registered address in permitted mode. The dispatch of Notice and Annual Report (both physical and electronic) was completed on 21st August, 2019.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from Tuesday, 10th September, 2019 to Monday, 16th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide all its members holding shares either in physical or dematerialized form at the close of business hours on the **cut-off date i.e. Monday 9th September, 2019** the facility to exercise their vote electronically on the business as set out in the Notice through remote e-voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the business may be transacted through such voting. The procedure and instructions for remote e-voting has been given under the Notice.

The members are informed that -

1. The remote e-voting period will commence at **09.00 AM on 13th September, 2019 and end at 5.00 PM on 15th September, 2019.** The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
2. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Monday, 9th September, 2019.
3. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Monday, 9th September, 2019, may obtain the User Id and password by following the same instruction for remote e-voting as mentioned in the Notice.
4. The members who cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting. Vote once cast by the members shall not be allowed to be changed subsequently.
5. The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM to the members who have not cast their vote through remote e-voting and are present at the AGM.
6. A person, whose name is recorded in the Register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 9th September, 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the AGM.
7. The Notice along with Annual Report are available at the Company's website viz. **www.esterindustries.com**. The Notice is also available on the website of CDSL viz. **www.cdslindia.com**
8. In case of any grievances/queries connected with remote e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and remote e-voting manual available at **www.evotingindia.com** under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Marathon Futurex, A Wing, 25th Floor, N. M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 Ph.: 1800225533, Email id- **helpdesk.evoting@cdslindia.com**

For Ester Industries Limited
Sd/-
Diwaker Dinesh
Head - Legal & Company Secretary

Place: Gurgaon
Dated: 21st August, 2019

Change in the Constitution of the Board of Directors

posed Transaction:
should you desire to discontinue holding the units in the schemes of RMF

स्नातक कक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम के विरोध में उतरा अभाविप

नजरिया खबर ब्यूरो

देहरादून। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने स्नातक कक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम का विरोध किया है। संगठन के पदाधिकारियों एवं छात्र संघ के नेताओं ने दून के चार प्रमुख कॉलेजों के प्राचार्यों को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया। साथ ही उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत को भी इस संबंध में पत्र भेजा। डीबीएस पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. वीसी पांडे को ज्ञापन सौंप संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि कॉलेजों में आधारभूत सुविधाएं व शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे बिना ही सीबीसीएस सिस्टम शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यूजीसी के मानकों को खानापूर्ति के लिए तो लागू कर दिया था, लेकिन अब यह छात्रों पर भारी पड़ रहा है। उनका कहना था कि अभाविप पिछले दो सालों से इसका विरोध कर रही है। अभाविप ने सेमेस्टर प्रणाली को अव्यवहारिक बताते हुए इसे स्नातक स्तर पर समाप्त करने की मांग की। बताया कि बीए, बीएससी एवं बीकॉम को एक वर्ष में दो सेमेस्टर में बांटा गया है। एक सेमेस्टर में 90 दिन की कक्षाएं अनिवार्य हैं। इस दौरान यदि शिक्षकों उपलब्ध नहीं हैं, या किसी छात्र की बीमारी व अन्य कारणों से कक्षाएं छूट जाती हैं, ऐसे में इसका खामियाजा छात्र को ही उठाना पड़ रहा है। उधर, डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अजय सक्सेना को ज्ञापन सौंपते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्र के युवक-युवतियां उच्च शिक्षा प्राप्त करने दून आते हैं, लेकिन अच्छे अंक होने के कारण भी वह दाखिले से वंचित रह जाते हैं। एमकेपी पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉ. साधना गुप्ता एवं श्री गुरुराम राम पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. वीए बौड़ाई को

ज्ञापन सौंपते हुए कॉलेजों में 20 फीसद सीटें बढ़ाने की मांग भी की गई। इस मौके पर हिमांशु कुमार, सत्यम कनौजिया, राहुल चैहान, दयाल बिष्ट, सागर तोमर, गौरव तोमर, हर्ष चैहान, चीनू चैहान, कविता परगाईं, मनीषा राणा, अंकिता आदि मौजूद रहे। प्रदेश छात्रसंघ कार्य प्रमुख संकेत नौटियाल के मुताबिक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पिछले वर्ष प्रांतीय सम्मेलन में भी स्नातक स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम का विरोध किया था और उसे कॉलेजों से समाप्त करने की मांग की थी। यूजीसी की इस नई व्यवस्था से छात्रों को लाभ नहीं, बल्कि नुकसान झेलना पड़ रहा है।डीबीएस कॉलेज छात्रसंघ अध्यक्ष मनबीर सिंह नेगी के अनुसार, डीबीएस पीजी कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से उच्च शिक्षा राज्य मंत्री को ज्ञापन भेजकर कड़ा विरोध दर्ज किया गया है। साथ ही कॉलेजों में 20 फीसद सीटों को बढ़ाने की मांग भी की गई है।

वन टाइम सेटेलमेंट लागू होने तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश: जोशी

नजरिया खबर ब्यूरो

देहरादून। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने एक प्रतिनिधिमण्डल के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में मुलाकात कर वन टाइम सेटलमेंट नीति के लागू होने तक देहरादून मसूरी मार्ग पर कुठालगेट से क्रिकेंग तक (भट्टा गांव एवं क्यारकुली सहित) सड़क किनारे निजी भूमि में बने व्यवसायिक दुकानों एवं मकानों का चिन्हिकरण एवं ध्वस्तीकरण रोके जाने के सम्बन्ध में मुलाकात की। बुधवार को सचिवालय में मुलाकात कर अवगत कराया कि देहरादून मसूरी मार्ग पर कुठालगेट से क्रिकेंग तक, जिसमें भट्टा गांव एवं क्यारकुली भी सम्मिलित है, सड़क किनारे अपनी निजी भूमि पर निर्मित दुकानों में पिछले पॉच दशकों से व्यवसाय कर रहे स्थानीय लोगों को जिला प्रशासन एवं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस भेजे गये हैं। बताया कि सभी व्यवसायी स्थानीय निवासी हैं और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए अपनी निजी भूमि पर लम्बे समय से व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार द्वारा मसूरी के लिए वन टाइम सेटलमेंट नीति बनाकर स्थानीय लोगों को लाभान्वित किया जाना है और दूसरी ओर, जिला प्रशासन एवं प्राधिकरण द्वारा व्यवसायियों को परेशान किया जा रहा है। मसूरी में बनाये गये अधिकत्तर होटल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्व में आवासीय भवन थे किन्तु पर्यटन के दृष्टिगत लोगों द्वारा इन्हें होटल का रुप दिया गया ताकि स्थानीय स्तर पर व्यवसाय हो सके, और आर्थिकी मजबूत हो। विधायक जोशी ने ग्रामीणों की परिस्थितियों के मद्देनजर वन टाइम सेटलमेंट नीति आने तक देहरादून मसूरी मार्ग पर कुठालगेट से क्रिकेंग तक (भट्टा गांव एवं क्यारकुली सहित) सड़क किनारे निजी भूमि में बने व्यवसायिक दुकानों एवं मकानों का चिन्हिकरण एवं ध्वस्तीकरण रोकने का अनुरोध किया। इससे पहले प्रतिनिधिमण्डल ने जिलाधिकारी सी रविशंकर से मुलाकात कर इस समस्या को हल करने को कहा। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष शमशेर सिंह पुण्डीर, मण्डल महामंत्री दीपक पुण्डीर, सुन्दर सिंह कोठाल, दयाल सिंह रावत, विक्रम सिंह, राकेश रावत, बलवीर सिंह आदि उपस्थित रहे।

लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा

देहरादून। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत आज पार्टी के महानगर मंत्री लच्छू गुप्ता के नेतृत्व में जनरल महादेव सिंह मंडल में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री बबलू बंसल को सदस्यता अभियान के तहत बनाए गए सभी नए सदस्यों के फार्म सौंपे गये। इ स मौके पर भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महानगर संयोजिका मधु जैन ने कहा कि लोगों में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों व नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जीएमएस मंडल के सदस्यता प्रमुख बबलू बंसल ने सभी लोगों से फार्म लेते हुए कहा कि आप लोगों ने जो भी कार्य किया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य दिया है उसको बखूबी निभाया है।

चौरासी कुटिया बीटल्स आश्रम के दिन सुधरने की उम्मीद

नजरिया खबर ब्यूरो

देहरादून। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके महर्षि महेश योगी के चैरासी कुटिया बीटल्स आश्रम के दिन अब सुधरने की उम्मीद बनी है। केन्द्रीय पर्यटन मत्रांलय ने, 'अपनी धरोहर अपनी पहचान' योजना के तहत चैरासी कुटिया को गोद लेने के लिए उत्तराखंड पर्यटन मंत्रालय से समझौता किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह ने उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को एक समझौता पत्र सौंपा है, जिसमें उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित चैरासी कुटिया और रुद्रप्रयाग के नारायण मंदिर को गोद लेने पर समझौता हुआ है। गौरतलब है कि महर्षि महेश योगी ने भारतीय योग को पहली बार विदेशियों से रूबरू करवाया था। उन्होंने ऋषिकेश के गंगा तट पर 60 के दशक में प्राचीन और वैज्ञानिक पद्धति को मिलाकर एक शंकराचार्य नगर बसाया था। इसमें गोल गुम्बदाकार 84 कुटिया का निर्माण किया गया था जो आज भी अद्भुत कारीगरी के अनूठे मेल की मिसाल है। 60 और 70 के दशक में मशहूर बैंड बीटल्स महेश योगी के शिष्य बने थे और फिर वह ऋषिकेश भी पहुंचे। बीटल्स की लोकप्रियता पर सवार होकर भारतीय योग और आध्यात्म पश्चिम पहुंचा और तब पहली बार पूर्व और पश्चिम का मिलन हुआ।

ESTER INDUSTRIES LTD.

CIN: L24111UR1985PLC015063

पंजीकृत कार्यालयः सोहन नगर, पी.ओ. चारूबेटा, खटीमा–262308, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड **फोनः** (05943) 250153-57, **फैक्सः** (05943) 250158

कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 11, ब्लॉक–ए, इफोसिटी–1, सैक्टर–34, गुड़गांव–122001, हरियाणा

फोनः (0124) 4572100, **फैक्सः** (0124) 4572199

वेबसाइटः www.esterindustries.com, **ईमेलः** investor@ester.in

33वीं वार्षिक आम बैठक, ई–वोटिंग जानकारी और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा **सूचित** किया जाता है कि एजीएम की सूचना ("सूचना") में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की **33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 16 सितम्बर, 2019 को प्रातः 10.30 बजे** कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय सोहन नगर, पी.ओ. चारूबेटा खटीमा–262308, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड में आयोजित की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से भेजी जा चुकी हैं जिनके ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत हैं और वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को अनुमति माध्यम से उनके पंजीकृत पते पर भेजी जा चुकी हैं। सूचना और वार्षिक रिपोर्ट (भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों) भेजने का कार्य 21 अगस्त, 2019 को पूरा हो गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीयन अनिवार्यताऐं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाऐं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण पुस्तिका मंगलवार, 10 सितम्बर, 2019 से सोमवार, 16 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित सेबी (सूचीयन अनिवार्यताऐं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाऐं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में कम्पनी **अंतिम तिथि अर्थात् सोमवार 09 सितम्बर, 2019** को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर भौतिक या डिमेटिरिलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले अपने सभी सदस्यों को सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के रिमोट ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की सुविधा प्रदान कर रही है और ऐसे मतदान के माध्यम से व्यापार किया जा सकता है। रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया एवं दिशानिर्देश सूचना में दिए गए हैं।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि –

1. रिमोट ई–वोटिंग अवधि 13 सितम्बर, 2019 को प्रातः **09.00 बजे प्रारंभ होगी और 15 सितम्बर, 2019 को सायं 05.00 बजे** बंद होगी। इस तिथि व समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा या एजीएम में वोट देने के लिए योग्यता के निर्धारण की अंतिम तिथि सोमवार, 09 सितम्बर, 2019 है।
3. कोई भी व्यक्ति जो सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और अंतिम तिथि अर्थात् सोमवार, 09 सितम्बर, 2019 को शेयर धारण करता है, वह सूचना में दर्शाए गए रिमोट ई–वोटिंग के लिए दिशानिर्देशों का पालन कर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
4. सदस्य जिसने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है वह बैठक में शामिल हो सकता है लेकिन बैठक में उसे दोबारा अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी। सदस्य द्वारा एक बार वोट देने के पश्चात उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है और एजीएम में उपस्थित हैं, उन्हें एजीएम में बैलेट पेपर से वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
6. वह व्यक्ति जिसका नाम डिपॉजिटरीज़ द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में अंतिम तिथि अर्थात् 09 सितम्बर 2019 को दर्ज है, केवल वहीं रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।
7. वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.esterindustries.com** पर उपलब्ध है। सूचना सीडीएसएल की वेबसाइट **www.cdslindia.com** पर भी उपलब्ध है।
8. रिमोट ई–वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए सदस्यगण वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर उपलब्ध निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") या रिमोट ई–वोटिंग नियमावली का अवलोकन कर सकते हैं या श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, मैराथन फ्यूचरक्स, ए विंग, 25वां तल, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013, फोन नं. 1800225533, ई–मेल आईडी **helpdesk.evoting@cdslindia.com** से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते **ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
हस्ता./–
दिवाकर दिनेश
हेड – लीगल एवं कम्पनी सचिव

स्थानः गुड़गांव
दिनांकः 21 अगस्त, 2019

जनजातीय शोध संस्थान एवं संस्कृति केन्द्र तथा संग्रहालय का लोकार्पण

नजरिया खबर ब्यूरो

देहरादून। केन्द्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुण्डा एवं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को दून यूनिवर्सिटी रोड स्थित नवनिर्मित जनजातीय शोध संस्थान एवं संस्कृति केन्द्र तथा संग्रहालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान के नव निर्मित भवन का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुण्डा ने जनजाति क्षेत्रों के समग्र विकास एवं शिक्षा के बेहतर प्रयासों के लिए उत्तराखण्ड सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य में जनजाति क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित जो भी योजनायें राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को प्रेषित की जायेगी। उसके क्रियान्वयन में केन्द्र सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जायेगा। उन्होंने देहरादून में जनजाति शोध संस्थान की स्थापना के लिये भी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के विकास का औसत राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है। केन्द्रीय मंत्री श्री मुण्डा ने कहा कि यह शोध संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति विकास के लिये किये जा रहे प्रयासों जनजाति समाज द्वारा देश के प्रति किये गये योगदान के साथ ही जनजाति समाज के एतिहासिक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत मनोविज्ञान वेल्यूज एथिक्स आदि को संजोने का कार्य करेगा ताकि हमारी भावी पीढ़ी अपने गौरवपूर्ण अतीत से परिचित हो सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह संस्थान देश का विश्वसनीय संस्थान बनेगा। उन्होंने जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के विकास पर और अधिक ध्यान दिये जाने के साथ ही वन भूमि क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों के लिये माइक्रो प्लान तैयार करने एवं विलुप्त हो रही जनजाति प्रजातियों को संरक्षित करने पर भी बल दिया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिह रावत ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण की दिशा में राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि कालसी एकलव्य विद्यालय से 13 छात्र-छात्राओं को देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिला है, यह प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आश्रम पद्धति के विद्यार्थियों के भोजन भत्ते को 3000 रूपए प्रति माह से बढ़ाकर 4500 रूपए प्रति माह किया गया है। राज्य में आश्रम पद्धति के 16 राजकीय विद्यालय संचालित किये

जा रहे हैं, जिनमें लगभग 03 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रों को रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए तीन आईटीआई संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें प्रतिवर्ष 400 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए चार छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें 190 छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राज्य में आठवीं कक्षा तक के सभी जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, इसमें उनके पारिवारिक आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं रखी गई है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ''देश को जानो योजना'' के तहत कक्षा 10 के टॉप 25 रैंकर्स को भारत भ्रमण कराये जाने की व्यवस्था की गई है। इनका एक भ्रमण हवाई जहाज से भी होगा। इससे बच्चों को अपने देश के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें भारत के विभिन्न प्रान्तों की संस्कृति, इतिहास, रहन सहन, खान-पान आदि के बारे में जानने का भी मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत टॉपर 25 बच्चों को सभी कोर्सेज में 50 प्रतिशत फीस की स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जयहरीखाल में गरीब मेधावी बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाया जा रहा है। इस विद्यालय में प्रतिमाह आईएएस, आईएफएस, आईपीएस व सैन्य अधिकारियों द्वारा गेस्ट लेक्चर के रूप में अपनी सेवायें दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिये भी प्रभावी प्रयास किये गये हैं। समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।